(112)

न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सराडा जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 37 / 2020

उनवान

1. श्री खेमा पिता स्व. अमरा डांगी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील सराडा
2. श्री नंगा पिता स्व. अमरा डांगी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील सराडा
3. श्री कचरा पिता स्व. हीरा डांगी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील सराडा
4. श्री खेमा पिता स्व. हीरा डांगी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील सराडा
5. श्रीमती दलुबाई पुत्री स्व. वेलु बाई एवं वेला डांगी उम्र बालिग पति वालजी डांगी निवासी मउडी तहसील सराडा
6. श्रीमती राजु पुत्री वेला डांगी उम्र बालिग पति वेलजी डांगी निवासी धावडिया तहसील सराडा
7. श्री नरेश पुत्र मोगा डांगी उम्र बालिग निवासी डांगीखेडा तहसील सराडा
8. श्रीमती लाली पुत्री तेजी डांगी उम्र बालिग पति लखमा डांगी निवासी जगत तहसील गिर्वा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री पराक्रमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह चावडा राजपूत उम्र बालिग निवासी चावडा हाउस गणेश घाटी उदयपुर।
2. भूमिधारी तहसीलदार सराडा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णयः:—

दिनांकः— 19/9/24

उपस्थितिः— श्री भीमराज पटेल अधिवक्ता — प्रार्थीगण
श्री गजेन्द्र चौबिसा अधिवक्ता— विपक्षी सं. 1
पेरोकार सरकार तहसीलदार सराडा उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल पुरूष रूपा डांगी निवासी अमरपुरा के दो बेटे पैदा हुऐ जो बडा पुत्र माना था एवं छोटा पुत्र धनजी था। दोनो का वर्षो पूर्व निधन हो गया है। माना के 2 दो बेटे पदमा एवं वाला थे दोनो का निधन हो गया है। पदमा के कोई पुत्र संतान नही था इसलिये पदमा ने अपने छोटे भाई वाला के 2 दो बेटों में से बडा पुत्र तेजी को गोद लिया तेजी का निधन भी आज से करीब 40—42 वर्ष पूर्व हो चुका है। स्व. तेजी के 2 दो औरते थी जो पहली औरत श्रीमती वरजु थी एवं दूसरी औरत श्रीमती मोती थी दोनो औरतों का निधन तेजी के जीवनकाल में हो गया था। तेजी की पहली औरत वरजु से तेजी के 3 बेटी पैदा हुई जो श्रीमती वेलु थी जिसका निधन भी आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुका है इसलिये श्रीमती वेलु की वारिश उसकी बेटी श्रीमती

dr

दलुबाई वादी नं. 5 पॉच है एवं दूसरी बेटी राजुबाई वादी नं. 6 है एवं पुत्र मोगा था जिसका निधन हो गया है जिसका वारिश पुत्र नरेश वादी नं. 7 है। स्व. तेजी की दूसरी बेटी श्रीमती पदुबाई प्रतिवादी नं. 3 है एवं तीसरी बेटी श्रीमती नवली प्रतिवादी नं. 2 है एवं स्व. तेजी की दूसरी औरत श्रीमती मोतीबाई से पैदा हुई बेटी लालीबाई वादी सं. 8 है एवं छोटी बेटी श्रीमती खेमीबाई प्रतिवादी सं. 4 है इस प्रकार स्व. तेजी डांगी के वारिश वादी सं. 5, 6, 7 एवं वादी सं. 8 एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 तक है इसके अलावा और कोई वारिश नही है।

इसी प्रकार स्व. माना का छोटा पुत्र वाला था जिनका निधन भी हो चुका है। वाला का छोटा पुत्र अमरा था जिनका निधन भी आज से 25–26 वर्ष पूर्व हो चुका है इसलिये स्व. अमरा के वारिश बडा पुत्र खेमा वादी नं. 1 है एवं छोटा पुत्र नंगा वादी सं. 2 है। मूल पुरूष रूपा का छोटा पुत्र धनजी था जिनका निधन वर्षो पूर्व हो चुका है एवं धनकी का इकलौता पुत्र रूपा था जिनका निधन हो चुका है एवं रूपा का इकलौता पुत्र हीरा था उसका निधन हो चुका है। हीरा के 3 पुत्र थे जो स्व. भीमा, कचरा, खेमा है। भीमा का निधन हो जाने से भीमा का वारिश पुत्र लाला है जो वर्तमान में बोम्बे में मजदुरी करता है इसलिये इसे वादी नही बना सके, इसलिये लाला को प्रतिवादी सं. 5 बनाया है इससे इस वाद में वादीगण लाला से कोई दाद नही चाहिये परन्तु आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी सं. 5 बनाया है। हीरा का दुसरा पुत्र कचरा वादी नं. 3 तीन है एवं हीरा का छोटा पुत्र खेमा वादी नं. 4 है। इस प्रकार स्व. वाला के वारिश वादी सं. 1 व वादी सं. 2 है तथा स्व. हीरा के वारिश प्रतिवादी सं. 5 एवं वादी सं. 3 एवं वादी सं. 4 है एवं स्व. तेजी के वारिश वादी सं. 5 से 8 तक एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 तक है।

मौजा अमरपुरा जागीर तहसील सराडा की बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 43/2 रकबा 16 बिघा 5 बिस्वा स्व. तेजी पिता पदमा, स्व. अमरा पिता वाला व स्व. रूपा पिता धनजी के खातेदारी की आराजी नम्बर 203 एवं सा.आ.नं. 207 के चारो तरफ स्थित थी जो मेवाड राज्य की प्रथम पैमाईश संवत् 2002 मे खाते चढी थी इसलिये साबिक आराजी नम्बर 202 एवं 203 खेतनामी डूमडा तलाई की भूमि 3 बीघा 19 बिसवा के पास में बिलानाम भूमि थी जिस पर स्व. तेजी, स्व. वाला व स्व. रूपा काश्त के लिये राज से लेना चाहते थे इसलिये गांव अमरपुरा के तत्कालीन नम्बरदार स्व. वाला पटेल को साथ लेकर स्व. वाला एवं स्व. तेजी दोनो पिता–पुत्र सराडा तहसील कार्यालय में गये थे परन्तु स्व. वाला का चचेरा भाई रूपा को घर पर छोडकर गये थे एवं सा.आ.नं. 43/2 को उपजाउ बनाने के लिये काश्त पर लेना चाहते थे इसलिये तत्कालीन तहसीलदार सराडा ने तारीख 1–09–1950 तद्नुसार संवत् 2007 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाए आ.नं. 43/2 को एक वर्ष के लिये सा.आ.नं. 43/2 आबाद करने की शर्त पर शिकमी काश्त करने दी थी । उक्त भूमि बतौर शिकमी वाला व वाला का प्राकृतिक पुत्र तेजी व वाला के चचेरा भाई रूपा तीनों ने ली थी। उक्त भूमि सा. आ.नं. 43/2 राज द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये शिकमी काश्त पर राज द्वारा देने के करीब 1 एक 2 दो वर्षों में वाला पिता माना तथा वाला का चचेरा भाई रूपा पित धना का निधन हो गया था एवं संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार का कर्ताखानदान व मुखिया स्व. तेजी मुतबना पदमा बने इसलिये उक्त भूमि को स्व. वाला के पुत्र अमरा व स्व. रूपा के पुत्र हीरा व स्व. तेजी तीनों ने अपना खुन पसीना बहाकर वादग्रस्त भूमि जो राखड भूमि थी उसको सैकडों रूपया खर्च कर आबाद की थी इसलिये उक्त भूमि संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार के मुखिया मेनेजर एवं कर्ता खानदान स्व. तेजी मुतबना पदमा अकेले के शिकमी संवत् 2017 में खाते चढी थी एवं संवत् 2018 खातेदारी अधिकार दिये थे परन्तु इस भूमि में 1/3 एक बटा तीन हिस्सा स्व. तेजी मुतबना पदमा का था एवं 1/3 एक बटा तीन हिस्सा स्व. तेजी के प्राकृतिक पिता वाला पिता माना का था एवं वाला के निधन के बाद वाला के पुत्र अमरा का था एवं अमरा के निधन के बाद अमरा के पुत्र वादी नं. 1 एक व वादी नं. 2 दो का है

एवं शेष 1/3 हिस्सा स्व. वाला के चचेरे भाई रूपा का था एवं रूपा के निधन के बाद रूपा के पुत्र हीरा का था एवं हीरा के निधन के बाद हीरा के पुत्र स्व. भीमा का एवं भीमा के निधन के बाद भीमा के पुत्र लाला प्रतिवादी नं. 5 पाँच एवं हीरा के बेटे वादी नं. 3 तीन कचरा व वादी नं. 4 चार खेमा का है एवं स्व. तेजी के निधन के बाद उक्त पूरी भूमि हाल पैमाईश में प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक ने अकेले खाते चढवा दी जो गलत है एवं उक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक का मात्र 3/15 हिस्सा ही है एवं स्व.तेजी की बडी बेटी स्व. वेलु का 1/15 हिस्सा था जो श्रीमति वेलु के निधन के बाद वेलु के वारिश वादी नं 5 पाँच, 6 छः एवं 7 सात का है तथा 1/15 हिस्सा स्व. तेजी की जिन्दा वेटी श्रीमति लाली वादी नं. 8 आठ का है एवं 1/3 हिस्सा वादी नं. 1 एक व 2 दो का है एवं 1/3 हिस्सा वादी नं. 3 तीन व 4 चार एवं प्रतिवादी नं. 5 पाँच का है।

वादग्रस्त साबिक आ.नं. 43/2 रकबा 16 बीघा 5 बिसवा जिसके हाल पैमाईश में नये आराजी नम्बर 239/1.50, 240/1.58 कुल किता 2 रकबा 3.08 हैक्टेयर बने। इस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण निरन्तर शान्तिपूर्वक आज तक खातेदार काश्तकार की हैसियत से अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं राज में लगान जमा करवा रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 एक बटा तीन हिस्सा वादी नं. 1 एक व 2 दो का नही है एवं 1/3 एक बटा तीन हिस्सा वादी नं. 3 तीन व 4 चार तथा प्रतिवादी नं. 5 पाँच का नही होना स्व. तेजी मुतबना पदमा ने अपने जीवनकाल में कभी नही कहां एवं जब तक स्व. तेजी मुखिया एवं कर्ताखानदान जिन्दा रहेगा तब तक स्व. अमरा व स्व. हीरा ने शामलाती स्व. तेजी के साथ संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे थे एवं बराबर बराबर हिस्से राज में लगान जमा करते चले आ रहे थे। हाल पैमाईश में खातेदार तेजी पिता पदमा के निधन के बाद इन्तकाल नं. 114 विरासत का बिना कब्जा के चुपचाप प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक ने अपने नाम पर खुलवाया जिसमें पर्चा खतौनी संवत् 2044 में विरासत का इन्तकाल सिर्फ स्व. तेजी की बेटी पदुबाई प्रतिवादी नं. 3 तीन एवं खेमी बाई प्रतिवादी नं. 4 चार व नवलीबाई प्रतिवादी नं. 2 दो के नाम ही चुपचाप स्वीकृत किया एवं स्व. तेजी की बडी बेटी स्व. वेलुबाई के वारिश वादी नं. 5 पाँच, 6 छः, 7 सात के नाम व जिन्दा बेटी वादी नं. 8 आठ के नाम स्वीकृत नही कराया। वादग्रस्त पूरी कृषि भूमि को प्रतिवादी नं. 2 दो, 3 तीन एवं 4 चार ने चुपचाप पहले अपने अकेलों के खाते करा दी एवं उसके बाद अवैद्य खाते के आधार पर तारीख 17–9–2020 को बिल एवज रूपया 2901000/– उनतीस लाख एक हजार रूपयों में प्रतिवादी नं. 1 एक जो एक अजनबी खरीददार है उसको बिना कब्जा के विक्रय कर दी है। उक्त विकय पत्र अवैद्य है क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3 एक बटा तीन हिस्सा वादी नं. 1 एक व 2 दो का है एवं 1/3 एक बटा तीन हिस्सा वादी नं. 3 तीन, 4 चार एवं प्रतिवादी नं. 5 पॉच का है एवं शेष 1/3 एक बटा तीन हिस्सा वादी नं. 5, 6, 7, 8 एवं प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक का है। इस प्रकार स्व. तेजी की 5 पाँचों बेटियों का हिस्सा 1/3 एक बटा तीन है स्व. वेलु पुत्री तेजी के वारिश वादी नं. 5, 6, 7 का हिस्सा = 1/3 ×1/5 = 1/15 है। वादी नं. 8 आठ का हिस्सा = 1/15, प्रतिवादी नं. 2 दो का हिस्सा = 1/15, प्रतिवादी नं. 3 तीन का हिस्सा = 1/15, प्रतिवादी नं. 4 चार का हिस्सा = 1/15 हिस्सा है।

वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्सों की घोषणा कराने का यह वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रतिवादी नं. 2 दो, 3 तीन, 4 चार ने वादग्रस्त भूमि में अपना पूरा 1/15 + 1/15 + 1/15 = 3/15 = 1/5 एक बटा पाँच हिस्सा उक्त पैतृक कृषि भूमि जो अविभाजित थी उसे जरिये रजि. विक्रय पत्र के प्रतिवादी नं. 1 एक को तारीख 17–9–2020 को विक्रय कर दी है इसलिये अब वादग्रस्त पैतृक भूमि में प्रतिवादीगण नं. 2 दो से 4 चार तक का कोई हिस्सा शेष नही रहा है एवं जो हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक का

1/5 एक बटा पाँच था वह पूरा हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 एक जो अजनबी खरीददार है उसको विक्रय कर दिया है इसलिये प्रतिवादी नं. 1 जो अजनबी खरीददार है वह वादग्रस्त भूमि का विधिवत पांती बंटवाडा हो जांने के बाद ही अपनां 1/5 एक बटा पाँच हिस्से की भूमि का कब्जा हम वादीगण से प्राप्त कर सकता है।

विपक्षी नं. 1 एक अजनबी खरीददार है वह अवैद्य विक्रय पत्र दिनांक 17–9–2020 के द्वारा प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक ने अपने आपको पूरी भूमि का खातेदार काश्तकार बतलाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 एक ने यह जानते हुऐ खरीदी थी कि प्रतिवादी नं. 2 दो से 4 चार तक का वादग्रस्त भूमि में मात्र 3/15 हिस्से की खातेदार थी एवं वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी नं. 1 एक से 4 चार तक व प्रतिवादी नं. 5 पॉच का है फिर भी पूरी भूमि खरीदी है एवं बिना पांती बंटवाडा के वादग्रस्त भूमि से हम वादीगण को प्रतिवादी नं. 1 एक जबरन बेदखल करना चाहता है। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 एक के विरूद्ध शीघ्र स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रतिवादी नं. 1 एक जो जाति से खुंखार राजपूत होकर पूर्व जागीरदार है एवं हम गरीब डॉगी जाति के वृद्ध वादीगण काश्तकारों को कभी भी अपने भुजबल पर एवं धनबल पर बेदखल कर सकता है एवं भूमि व फसल बर्बाद कर सकता है एवं अवैद्य विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत करा सकता है जिससे वादीगण को जो क्षति होगी उसकी रूपयों पैसों में मूल्यांकन नहीं हो पावेगा एवं वादीगण का यह वाद पेश करने का प्रयोजन निरर्थक हो जावेगा एवं वादीगण को अनेक वाद लाने पडेंगे एवं महान असुविधा होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः निवेदन है कि असल वाद के निर्णय तक हम प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में विपक्षी इस प्रार्थना पत्र की कम संख्या 5 पाँच में वंर्णित मौजा झडियाना पटवार हल्का अमरपुरा तहसील सराडा की हाल खाता नं. 142 वर्ष 2075 से 2078 के आ.नं. 239/1.50, 240/1.58 कुल खेत 2 रक़बा 3.0800 है. लगानी 0.86 पैसे पर किसी प्रकार की दस्तनदाजी नहीं करे एवं नहीं फसल व भूमि बर्बाद करे एवं नही मूल वाद के निर्णय तक विपक्षी विक्रय पत्र दिनांक 17–9–2020 के आधार पर भूमि अपने खाते करावे एवं नहीं प्रार्थीगण नं. 1 एक, 2 दो, 3 तीन व 4 चार व प्रतिवादी नं. 5 पाँच लाला पिता भीमा दादा हीरा डांगी को बेदखल करे एवं नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकुरों, मजदूरो एवं बाहुबलियों से करावें। राजस्व रेकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर अधिवक्ता श्री गजेन्द्र चौबिसा ने वकालतनाम एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि– प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या–2 में अंकित सजरे में वादी संख्या 8 लाली स्वर्गीय तेजी की पुत्री नहीं है बल्कि स्वर्गीय तेजी श्रीमती मोती बाई को नाते लाये उस वक्त साथ में आयी थी। इस प्रकार वादी संख्या 8 का इस सजरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। सजरा एवं अन्य ईबारत को वादीगण स्वयं साबित करावें। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या–3 अस्वीकार है। साबिक आराजी नम्बर 43/2 जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट में बिलानाम सरकार दर्ज है एवं प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में आराजी संख्या 43/2 श्री तेजी पिता पदमा डांगी साकिन अमरपुरा की खातेदारी की दर्ज़ है। भूप्रबन्ध के खसरा पत्रक़ सम्वत् 2039 में उपरोक्त भूमि पदु, खेमी एवं नवली पिता तेजी डांगी के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि से वादीगणों का कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही उपरोक्त भूमि कभी संयुक्त परिवार की नही रही है। इस प्रकार वादीगणों द्वारा उपरोक्त भूमि को संयुक्त परिवार की भूमि बताना गलत है। उपरोक्त भूमि वाला पिता माना तथा रूपा पिता धन्ना को कभी भी आवंटित नही हुई है बल्कि स्वर्गीय तेजी को आवंटित हुई है। इस प्रकार वादीगणों का उपरोक्त भूमि में

कोई हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीगणों ने मनमकसूद तरीके से इस भूमि के हिस्से कर अपना हिस्सा बताने का झूठा प्रयास किया है जबकि वादीगणों का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 5 में साबिक आराजी नम्बर 43/2 के सेटलमेन्ट पश्चात् नये आराजी नम्बर 239 एवं 240 बनना स्वीकार है। वादीगणो का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, न ही उक्त भूमि वादीगणों के खातेदारी की है। इस प्रकार वादीगणों ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण संख्या 114 बिल्कुल सही खुला है। स्वर्गीय तेजी के जो विधिक वारिस थे उनके नाम पर खोला गया है। भूमि पर कब्जा विक्रेता पदु, नवली व खेमी पुत्री स्वर्गीय तेजी का था जिन्होंने विपक्षी संख्या 1 को विधिवत् विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। इस प्रकार विक्रय पत्र के जरिये वाद की दिनांक को प्रतिवादी संख्या 1 पराक्रम सिंह उक्त भूमि का विधिक स्वामी है। प्रार्थीगणों को विपक्षी संख्या 1 के कब्जे में दखलअन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 8 में वर्णित यह तथ्य कि प्रतिवादी नम्बर 2, 3 व 4 ने अपनी खातेदारी भूमि दिनांक 17.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करना स्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 बोनाफाईड परचेजर है एवं विपक्षी संख्या 1 ने बाजार मूल्य अदा कर खातेदारों से उपरोक्त भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसमें प्रार्थीगणों को दखलअन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता महिलाऐं होने के कारण उनको प्रताड़ित करने के लिए वादी/प्रार्थीगणों ने झूठा वाद एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 बोनाफाईड परचेजर है जिसे पूर्व खातेदारों ने कब्जा सुपुर्द किया है। विपक्षी संख्या 1 अजनबी खरीददार नहीं है बल्कि बोनाफाईड परचेजर है। विपक्षी संख्या 1 ने कोई राजनैतिक दबाव नहीं दिया है, न ही कोई गुण्डे भेजे गये हैं। यह सब तथ्य प्रार्थीगणों ने मनगढन्त एवं अशोभनीय अंकित किये हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने विधिवत् अपने खाते की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। इस प्रकार वादीगणों का वाद एवं प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगणों का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, न ही प्रार्थीगणों के पक्ष में सुविधा सन्तुलन है व प्रार्थीगणों को कोई अपूर्णियक्षति नहीं हो रही है क्योंकि प्रार्थीगणो का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। न ही प्रार्थीगणो का उक्त भूमि पर कब्जा है। न ही प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार हैं, न ही कभी प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगणों को यह प्रार्थना–पत्र एवं वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थीगणों के प्रार्थना–पत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी सं. 1 ने अपने जवाब के अन्त मे विशेष कथन कर अंकित किया कि साबिक आराजी नम्बर 43/2 जिसके वर्तमान नम्बर 239 रकबा 1.50 हेक्टेयर एवं आराज़ी नम्बर 240 रकबा 1.58 हेक्टेयर, कुल किता–2, कुल रकबा 3.08 हेक्टेयर भूमि पूर्व में स्वर्गीय श्री तेजी के खातेदारी की थी जिसका पुख्ता प्रमाण प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 है जिसमें उपरोक्त भूमि स्वर्गीय तेजी के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात् तेजी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के खातेदारी में दर्ज हुई जो भू–प्रबन्ध के खसरा पत्रक सम्वत् 2039 से स्पष्ट प्रमाणित है। खसरा पत्रक की कलम संख्या 22 में पूर्व में कृषक के कॉलम में भी पदु, खेमी, नवली पिता तेजी बतौर खातेदार अंकित है एवं वर्तमान कृषक के कॉलम संख्या 23 में भी पदु, खेमी, नवली पिता तेजी डांगी बतौर खातेदार अंकित है एवं तत्पश्चात् की सम्पूर्ण जमाबन्दीयों में व वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 बतौर खातेदार दर्ज है एवं भूमि पर पूर्व में कब्जा स्वर्गीय तेजी का था व उसके स्वर्गवास के पश्चात् पदु, खेमी व नवली का रहा व उनके द्वारा विपक्षी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 17–09–2020 को विक्रय कर दी तत्पश्चात् वर्तमान में

उक्त भूमि पर कब्जा श्री पराक्रम सिंह विपक्षी संख्या 1 का है। विपक्षी संख्या 1 बोनाफाईड परचेजर है। उपरोक्त भूमि से वादीगणों का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा हैं सिर्फ प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 से 4 को ब्लेकमेल करने की नीयत से व रूपये ऐंठने की गरज से यह झूठा प्रार्थना–पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 उपरोक्त भूमि का स्वामी है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगणो को विपक्षी संख्या 1 को बाधा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा. दी. सव्यय निरस्त फरमाया जावे व विपक्षी संख्या 1 को धारा 35 (ए) सी.पी.सी. के तहत् खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि सजरा खानदान प्रार्थना पत्र मे दर्शित है। साबिक आरजी नम्बर 43/2 की भूमि बिलानाम थी, पट्टा मेवाड राज्य का मिला था, शिकमी इन्द्राज थे (तेजी दत्तक पुत्र पदमा के नाम) लेकिन उसमे छोटे भाई वाला का भी हिस्सा था और धनजी का भी हिस्सा था। वादी सं. 1 से 5 का 1/2 के वारिशान है व हिस्सेदार है। तेजी की दो औरते थी वरजू व मोती। पर्चा खतौनी की नकल सलंग्न है जिसमे कब्जा नही होने से कमी व ना.सं. 114 की जांच करना शेष है का वर्णन है। साथ ही वेलु की बेटीयों का नाम भी छोड दिया है। खसरा गिरदावरी संवत् 2039 मे वि.वि. मे कब्जा भीमा पिता अमरा डांगी का लिखा है। वेलु पत्नी वेला डांगी का नाम भी नही दर्ज हुआ। इन विक्रेताओ के नाम मौके पर कोई कब्जा नही था, इस हेतु मौके से भी लिखवाया है तथा पुरे गांव की साक्ष्यी है कि मौके पर प्रतिवादी का कोई कब्जा नही है। यह पेतृक सम्पत्ति है मात्र राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज होने से कोई अधिकार सृजित नही होता है। तेजी की जाइन्दा लडकीयों के नाम भी दर्ज नही है। वादीगणो का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है, अतः मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने बहस मे कथन किया कि वादी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि तेजी को भूमि आवटंन हुई उससे पहले भूमि बिलानाम थी। क्योंकि तेजी को आवटंन हुआ अतः भूमि स्वअर्जित मानी जानी है। संवत् 2039 मे नमान्तरकण खुला है, लाली, तेजी की जायन्दा पुत्री नही है। लाली तेजी की दुसरी पत्नी मोती नाते आई वह पूर्व पति से साथ लाई थी। वेलु की मृत्यु आज से 35 वर्ष हो चुके है उन्होने आज तक उजर एतराज नही किया। किसी ने भी आज तक उजर एतराज नही किया। विक्रेताओं ने अपने हक अधिकार के तहत भूमि बेची है तथा विपक्षी सं. 1 बोनाफाईड क्रेता है। कहानी प्रार्थी सं. 1 से 4 तक द्वारा गढी हुई है, अन्य को ऐसे ही वादी बनाया है। विक्रय से संबंधित प्रतिफल राशि चेक से भूगतान की है, अतः प्रतिवादी सं. 1 के साथ अन्याय हुआ है। आपने सेल डिड को निस्तीकरण का कोई केस दर्ज नही करवाया। केवल दावे की आड मे ही बोनाफाईड परचेजरं को उसके खातेदारी अधिकारो से वंचित कर रहे है। मेरा मौके पर कब्जा है। इनको सिजारे भूमि दी होगी, उस आधार पर कब्जा लिख दिया होगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस रिबुटल मे प्रार्थीगण ने कथन किया कि आदेश 26 नियम 9 जा.दि. का वाद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका उन्होने विरोध किया था, क्योंकि इनका मौके पर कब्जा नही था। सवंत् 2039 मे नामान्तकरण खुला है। वेलु का नामा नही दर्ज हुआ यह इन्होने स्वीकार किया है। हम तो हमारा हिस्सा मांग रहे है इसलिये रजिस्टर्ड दस्तावेज को क्यों खारिज करावे। लाली अगर मोती (दूसरी पत्नी) के साथ लाई ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। नामान्तकरण केवल यह डिसाईड करता है कि लगान कौन जमा कराएगा।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। साबिक आरजी नम्बर 43/2 की भूमि मेवाड राज्य के समय तेजी पिता पदमा डांगी के नाम के नाम दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड मे तेजी पिता पदमा डांगी के खाते आई जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार किया है तथा जिसकी पुष्ठी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से होती है। जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 मे स्वर्गीय तेजी के नाम पर बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2039 मे पदु, खेमी, नवली पिता तेजी का नाम दर्ज अंकित है। साबिक आराजी नम्बर 43/2 के मिलान क्षैत्रफल,अनुसार हाल आराजी नम्बर 239 रकबा 1.50 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 240 रकबा 1.58 हेक्टेयर, कुल किता–2, कुल रकबा 3.08 हेक्टेयर बनना जाहिर होता है। तथा भू–प्रबन्धन के दोरान बनी पर्चा खतौनी सवंत् 2044 मे ई.नं. 114 विरास्त से पदु खेमी नवली पिता तेजी डांगी का नाम दर्ज अंकित है साथ ही जांच करना शेष है का अंकन लगा हुआ है। जिसके बाद बनी जमाबंदी संवत् 2044 मे पदु खेमी नवली पिता तेजी डांगी का नाम दर्ज अंकित है जिसे हाल जामबंदी संवत् 2075 से 2078 मे दोहराया गया है जिसमे खेमी पुत्री तेजी हिस्सा 1/3, नवली पुत्री तेजी हिस्सा 1/3, पदु पुत्री तेजी हिस्सा 1/3 दर्ज अंकित है जिसे उक्त खातेदारा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय की जिसका दाखला हाल जमाबंदी मे अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के स्पष्ट है कि पदु, खेमी व नवली ने अपने खाते की भूमि विपक्षी संख्या 1 को उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि० 17–09–2020 को विक्रय कर दी है। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी क्रेता है। न ही पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर हो। अतः पत्राव्रली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण, सुविधा संन्तुल व अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे होना उचित प्रतीत नही होता है।

प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि बता कर धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार का पेश किया है। वाद वर्णित भूमि मे पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद मे साक्ष्य एवं गवाहो के आधार पर गुणावगुण पर किया जाना है। अतः इस स्तर पर विपक्षी सं. 1 जो सद्भावी क्रेता है के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सराडा
जिला–सलूम्बर